

FORM NO. |||

फर्द अहकाम
नियम (26)

अदालत..... उपखण्ड अधिकारी..... मुकाम.....
जितेन्द्र सुवालक बनाम..... इरावा.....
म मु०..... मिसल न०..... 75/2025

दिवस	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
------	------------------------------------	---

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत पण्डित दीनदयाल उपाध्याय संबल पखावाडा 2025 के द्वारा प्राप्त हुआ, जिसमें प्रार्थी जितेन्द्र कुमार पुत्र राजेन्द्र कुमार ने प्रा० पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व अभिलेख में प्रार्थी के हिस्से की भूमि में प्रार्थी का नाम जितेन्द्र कुमार पुत्र राजेन्द्र कुमार नि० लुहावद नाम दर्ज है। जमाबंदी सवत् 2074 से 77 मुताबिक खसरा नंबर 1439, 1550, 1738, 1756, 1851, 1992 में काशतगार का नाम जितेन्द्र कुमार पुत्र राजेन्द्र कुमार मुस्ताक दर्ज है। जिसकी शुद्धि के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया है उक्त प्रकरण की संबधित पटवारी भू. अभि. निरीक्षक क्षेत्र द्वारा दुरस्ती करने अनुशंसा की गई। अतः तहसीलदार पीपल्दा की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थीया का नाम जितेन्द्र कुमार पुत्र राजेन्द्र कुमार के स्थान पर जितेन्द्र सुवालक पुत्र राजेन्द्र कुमार नाम दर्ज किया जावे। आज दिनांक 27/10/25 को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर हो।


उपखण्ड अधिकारी
इरावा